माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

Maa Shakumbhari Univesrsity, Saharanpur

पत्रांक : 76/परीक्षा/2022-23 दिनांक : 08/04/2022

एम0ए0/एम0काम0 (व्यक्तिगत) परीक्षा 2022 हेतु महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा–2022 हेतु पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की केन्द्रीकृत व्यवस्था परास्नातक (प्रथम वर्ष) के लिये लागू की गयी है।
2. विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाते हुये समस्त व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म औपबन्धिक (Provisional) रूप से भरवाये जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत रूप से पंजीयन/परीक्षा फार्म भरा जाता है तो ऐसे पंजीयन/ परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षा के लिए पात्रता एवं मुख्य नियम

निम्नलिखित सभी नियमों की जांच परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर गहनता से कर ली जाये तभी परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा किये जायें।

1.

(i) उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी अभ्यर्थी को निवास प्रमाण–पत्र लगाने की आवश्यता नहीं होगी, परन्तु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा, उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो डी0एम0, ए0डी0एम0, एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत डोमीसाइल प्रमाण–पत्र/उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करने पर, इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क दिये सम्मिलित हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में रू0 6330/- विशेष शुल्क देय होगा। **परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमीसाईल प्रमाण–पत्र/आधार कार्ड मान्य नहीं** होगा।

(ii) विशेष शुल्क सम्बन्धी यह प्रावधान इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त नवीन छात्र/छात्राओं पर लागू होगा।

2. बिना प्रवजन प्रमाण–पत्र जमा किये किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा फार्म के साथ प्रवजन प्रमाण–पत्र मूलरूप में (In Original) संलग्न करना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षार्थी का मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवजन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रवजन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी।
3. परीक्षा फार्म के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया प्रमाण–पत्र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। रिक्त होने अथवा उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य से हस्ताक्षरित होने पर परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
4. योग्यता परीक्षा इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप में परीक्षा फार्म के साथ लगाना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। प्रतिकृति हस्ताक्षर (facsimile signature) मान्य नहीं होंगे।
6. **विदेशी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।**
9. 10+2+3 (10+2+2 वर्ष 1986 तक) परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन्होंने 10+1+3, 11+3 अथवा उसके समकक्ष पद्धतियों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, वे इस विश्वविद्यालय की एम0ए0/एम0कॉम0 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
10. वैध प्रवेश–पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होना अथवा महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना मान्य नहीं होगा और अभ्यर्थी तथा महाविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी होगा।
11. विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी की दो वर्षीय परीक्षा पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जायेगी, जिसे अधिकतम चार वर्ष में पूर्ण करना होगा, अन्यथा उसके द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा रद्द समझी जायेगी।
12. अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ संलग्न विषय तथा उस विषय से सम्बन्धित आवेदन–पत्र में अंकित प्रश्न–पत्रों का ही चयन करना है। किसी अन्य विषय/प्रश्न–पत्र की अनुमति नहीं दी जायेगी।
13. **विश्वविद्यालय ऐसे अभ्यर्थी को दी गई अनुमति वापस ले सकता है, जिसे विश्वविद्यालय ने भूलवश अथवा त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी हो जबकि वह परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह न हो।**
14. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी तथ्य गलत होने पर विश्वविद्यालय किसी भी ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षाफल/उपाधि रद्द कर सकता है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध कार्य किया हो अथवा जिसने परीक्षा फार्म के साथ जाली प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ संलग्न की हों। यदि जाँच में किसी भी समय प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
15. अभ्यर्थी भली–भाँति यह सुनिश्चित् कर लें कि **परीक्षा फार्म आनलाईन भरने के पश्चात् विषय/प्रश्न–पत्र एवं केन्द्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

16. जिन छात्र/छात्राओं ने किसी बाह्य विश्वविद्यालय से एक वर्षीय (सिंगल सिटिंग) पाठ्यक्रम से वर्ष 1998 के बाद स्नातक उपाधि प्राप्त की है, वे परास्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं हैं।

17. **जिन छात्र/छात्राओं ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे एम0ए0 (केवल संस्कृत) की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।**

18. **जिन छात्रों ने साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) से परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं।**

19. बी0बी0ए0 तथा बी0सी0ए0 की परीक्षा, क्रमशः बी0कॉम0 तथा बी0एस–सी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

20. व्यक्तिगत छात्रों को स्नातकोत्तर परीक्षा में डेजरटेशन (Dissertation) लेने की अनुमति नहीं है।

21. अभ्यर्थी, जिसने आबिद, कामिल परीक्षा जामिया–ए–उर्दू, अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं। (प्रवेश नियम–23, सत्र 2009-10)

IMPORTANT : Candidate who have passed any examination from "All India Board of Secondary Education, Delhi" (अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली), "Central Board of Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्, उत्तम नगर, नई दिल्ली), "Central Board of High Education, East Patel Nagar, New Delhi" (केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद्, पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली), "Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi" (वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद्, अलीगंज, मुबारकपुर, नई दिल्ली) तथा "Gurukul Vishvidyalaya, Vrindavan" (गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन) etc. are not eligible for admission to any course of study in this University.

उक्त के अतिरिक्त प्रवेश हेतु पात्रता सम्बन्धी बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची निर्धारित प्रवेश नियमावली के अनुरूप ही मान्य होगी।

22. परीक्षार्थी को परीक्षा फार्म के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों को संलग्न करके अपने चयनित केन्द्र/महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा करना होगा, जिसकी केन्द्र/महाविद्यालय से रसीद प्राप्त कर एवं चालान फार्म की एक प्रति परीक्षार्थी को सुरक्षित रखनी चाहिए।

23. किसी भी कारण से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा परीक्षा फार्म निरस्त हो जाता है तो उसका परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जायेगा और न ही अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित किया जायेगा।

24. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरने के लिए अर्ह हैं।

25. स्नातक तृतीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा में शामिल छात्र/छात्राऐं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म नहीं भर सकते हैं।

26. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक D.O.No. 1-15/2015(CPP-II) दिनांक अगस्त, 2015 के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्विवर्षीय स्नातक उपाधि वर्ष 1986 तक पूर्ण कर ली है और ऐसे अभ्यर्थी जो परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें भी व्यक्तिगत पंजीयन/परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

27. परास्नातक स्तर (एम0ए0/एम0काम0) हेतु पाँच विषय कोड वाले एक कोड में तथा छः या छः से अधिक विषय कोड वाले दो कोडों की बैक पेपर परीक्षा हेतु ही अर्ह होंगे।

28. **उक्त के अतिरिक्त पात्रता सम्बन्धी शेष नियम संस्थागत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित प्रवेश नियमावली शैक्षिक–सत्र 2021-22(पैतृक संस्था चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प्रभावी) के अनुरूप ही मान्य होंगे। सन्दर्भित नियम विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट www.msuniversity.ac.in पर भी उपलब्ध हैं।**

29. यदि कोई विधिक विवाद उत्पन्न होता है तो इसका परिक्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज में निहित होगा।

विशेष नोट :–

अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही व्यक्तिगत परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म भरें अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म एवं परीक्षा हो जाने की स्थिति में परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है।

7-4-2022

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

07/04/2022